

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सरमथुरा जिला धौलपुर(राज.)

उपवान निहाल सिंह बनाम राजेश कुमार
 किस्म मुकदमा 136/RAet प्रकरण संख्या - 0203/2022
प्राथमिक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तागील में जारी हुए
18/1/23	पत्रावली पत्रा/वकील सापल उपो/ रिपोर्ट भविष्यतः इजाजत वारे इन्सुलर पत्रावली दिनांक 11/01/23 के पत्रावली	
01/8/23	पत्रावली पैरा हुई। वकील सापल उपो/ P.O. या स्वाभानुतराधीन ड। अतः उदरुण मे कार्याही संगत नदी डी पुनर्दिशातुसार पत्रावली दिनांक 22/08/23 की पैरा डी	उपखण्डाधिकारी सरमथुरा (धौलपुर, राज.)
24/01/23	पत्रावली पत्रा/वकील सापल उपो/ हुक्म के पत्रावली अदालत से रिपोर्ट प्राप्त P.O. या उदरुण रजिस्ट्रार के कार्याही वारे कार्याही पत्रावली दिनांक 21/01/23 के पत्रावली	
21/9/23	पत्रावली पत्रा/वकील सापल उपो/ हुक्म के जान रिपोर्ट प्राप्त वारे वकील सापल उपो/ हुक्म के पत्रावली अदालत से दिनांक 21/9/23 के पत्रावली	
21/9/23	पत्रावली शब्दीक लोक अदालत से पत्रा/ वापस आने सापल अतः/ हुक्म के रिपोर्ट जान सापल के जज के कार्याही संगत है। वकील शब्दीक किता जाऊं है। पत्रावली का वकील सापल किता संग/ इन्सुलर सापल से रिपोर्ट जान के आधार पर पत्रावली पत्र सापल स्वीकार किता जागे है। विस्तार निर्णय हुक्म से लिखत जाकर शांति पत्रावली किता जाते। पत्रावली केसल उदरुण से नदर से कर है। अधिकारी के पत्रावली से लिखत जाते। वापस आने पत्रावली दाखिल नदर है। दिनांक 21/9/23 लोक अदालत से उदरुण वापस	

(सदर) लोक अदालत

लोक अदालत
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
धौलपुर (राज.)